

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 25 सितम्बर, 2009

संख्या सी० सी० पी० (एन० सी० आर०)/पी० पी० टी० / राजापुर / ए० सी० ए० / 2009/2681.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे सलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अनियमित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निबन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियंत्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

## अनुसूची

गांव राजापुर (हदबस्त संख्या-3) जिला पानीपत के इर्द-गिर्द के अतिरिक्त नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी.टी.पी.(पीएन) 349/08, दिनांक 12 मार्च, 2008 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर: बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए जो कि गांव राजापुर (हदबस्त संख्या 3) की आयत संख्या 24 का दक्षिण-पश्चिम कोना है तथा बाहोली के इर्द-गिर्द हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जेडी-93-सीए-पी-3/428, दिनांक 5 मार्च, 1993 द्वारा पहले से घोषित पानीपत नियंत्रित क्षेत्र-II तथा जिला पानीपत तथा जिला करनाल की सीमाओं का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात् उत्तर-पूर्व की ओर जिला पानीपत की जिला सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जोकि गांव राजापुर (हदबस्त संख्या 3) की आयत संख्या 16 का उत्तर-पश्चिम कोना है।

पूर्व: तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 10डीपी-82/3163 दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा पहले से घोषित पानीपत नियंत्रित क्षेत्र-II बिन्दु 'सी' तक जोकि गांव राजापुर (हदबस्त संख्या 3) की आयत संख्या 52 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण: तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए दक्षिण-पश्चिम की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या 10डीपी-82/3163 दिनांक 23 फरवरी, 1982 द्वारा पहले से घोषित पानीपत नियंत्रित क्षेत्र-II बिन्दु 'डी' तक जोकि गांव राजापुर (हदबस्त संख्या 3) की आयत संख्या 72 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम: तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग की अधिसूचना संख्या जेडी-93-सीए-पी-3/428 दिनांक 5 मार्च, 1993 द्वारा बाहोली के इर्द-गिर्द पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र बिन्दु 'ए' तक जोकि गांव प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी० एस० देसी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।



**HARYANA GOVERNMENT**

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 25th September, 2009

**No. CCP(NCR)/PPT/RAJAPUR/ACA/2009/2681.**—Whereas in the opinion of the Government, the area specified in the **Schedule** given below and shown in the plan appended hereto has the potential for building activities and haphazard development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

**Schedule**

Schedule of boundaries of additional controlled area around Village Rajapur (Hadbast number-3) District Panipat to be read with Drawing No. D.T.P. (PN) 349/08, dated the 12<sup>th</sup> March, 2008.

**North:** Starting from Point 'A' i.e. south-west corner of rectangle number 24 of Village Rajpur (Hadbast number 3) as well as the meeting point of boundary of controlled area of Baholi already declared vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. JD-93-CA-P-3/428, dated the 05<sup>th</sup> March, 1993 with the district boundaries of Panipat and Karnal. Thence towards north-east along the district boundary of district Panipat/Karnal upto point 'B' i.e. north-west corner of rectangle number 16 of Village Rajapur (Hadbast number 3).

**East:** Thence moving from point 'B' towards south along the boundary of Additional controlled area Panipat number - II declared vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. 10DP-82/3163, dated the 23<sup>rd</sup> February, 1982 upto point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 52 of village Rajapur (Hadbast number 3).

**South:** Thence moving from point 'C' towards south-west along the boundary of additional controlled Panipat number - II declared vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. 10DP-82/3163, dated the 23<sup>rd</sup> February, 1982 upto point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 52 of village Rajapur (Hadbast number 3).

**West:** Thence moving from point 'D' towards north along the boundary of controlled area Baholi already declared vide Haryana Government, Town and Country Planning Department notification No. JD-93-CA-P-3/428, dated the 05<sup>th</sup> March, 1993 upto point 'A' i.e. the point of start.

D. S. DHESI,

Financial Commissioner and Principal Secretary  
to Government, Haryana, Town and Country Planning Department.